झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा — द्वितीय सत्र(बजट)

संख्या-19 — सोमवार, दिनांक-30 मार्च, 2015 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 4.50 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. विविध चर्चायें:-

क. समाचार पत्रों में कोषागारों से राशि की निकासी सम्बन्धी प्रकाशित खबर को लेकर विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अखबार की प्रतियाँ दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री से वक्तव्य की मांग करने लगे, लेकिन आसन के आग्रह पर वे बैठ गये,

ख. माननीय नेता, प्रतिपक्ष द्वारा माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण पर राशि घोटाले का आरोप लगाये जाने को लेकर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने उनसे सदन में खेद व्यक्त किये जाने की मांग करने लगे अंततः माननीय, नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपनी बात वापस ले ली गयी,

ग. माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कोषागार से राशि निकासी के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से सदन को अवगत कराते हुए इसे नियानुकूल बताया गया,

घ. माननीय मंत्री, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह एवं माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम द्वारा आसन के निदेश से सदन के बाहर धरने पर बैठे माननीय सदस्य, सर्वश्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, राजकुमार यादव, ईरफान अंसारी आदि को ससम्मान सभा में लाया गया।

2. प्रश्न काल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्नंवत् हुआ-

(क) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-17

(i) उत्तरित मात्र-01- अ० सू०-267, श्री जानकी प्रसाद यादव, स० वि० स०।

(ii) स्थगित कुल-02-अ० सू०-265, श्री बादल, स० वि० स०,

अ० सू०-266, श्रीमती निर्मला देवी, स० वि० स०।

(कृ0 पृ0 उ0)

(iii) अनागत कुल–14–अ० सू०–268 से अ० सू० 281 तक।

(ख) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या–31

(i) उत्तरित कुल–05–तारांकित–क–26, श्री योगेन्द्र प्रसाद, स० वि० स०,
तारांकित–806, श्री शिवशंकर उरांव, स० वि० स०,
तारांकित–807, श्री जय प्रकाश वर्मा, स० वि० स०,
तारांकित–808, श्री नागेन्द्र महतो, स० वि० स०,
तारांकित–809, श्री प्रकाश राम, स० वि० स०।

(ii) अनागत कुल–26–तारांकित–810 से 835 तक।

(चलते सत्र में माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित तथा माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित सदन में लाये गये मामलों का अन्तरिम प्रतिवेदन आसन को प्राप्त होने की सूचना सदन को दी गयी।)

3.मुख्यमंत्री प्रश्न काल:–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम– 52 के प्रावधान के तहत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा उनके नाम के सामने उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये जिनके उत्तर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये–

माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय
1. श्री जगरनाथ महतो,	वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त किया जाना।
2. श्री अरुप चटर्जी,	अनुबंध पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं अन्य के मरणोपरांत उनके आश्रितों को मुआवजा राशि दिया जाना।
3. श्री स्टीफन मराण्डी,	सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को अंगीभूत किया जाना।
4. श्री राम कुमार पाहन,	मनरेगा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि किया जाना।
5. श्री राज सिन्हा,	लोक अभियोजक की नियुक्ति किया जाना।
6. श्री प्रदीप यादव एवं श्री बिरंची नारायण,	निजी विद्यालयों द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाया जाना।
7. श्री दीपक बिरूवा,	शिड्यूल एरिया में नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाया जाना।
8. श्री निर्भय कु.शाहाबादी,	झारखण्ड राज्य में परिसीमन कराकर विधान सभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाया जाना।
9. श्री पौलुस सुरीन,	ऐतिहासिक स्थल सुतिअंबेगढ़ को अतिक्रमण मुक्त कर पर्यटन स्थल बनाया जाना।

10. श्रीमती बिमला प्रधान, मृतक के आश्रित द्वारा आवेदन देने की अवधि को बढ़ाया जाना।

11. श्री अनन्त कुमार ओझा, चतुर्थ चरण के अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को प्रोन्नति देना।

12. श्री आलमगीर आलम, झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में आवासीय विद्यालय खोलना।

13. श्री नारायण दास, कैम्प कोर्ट को पुन: चालू किया जाना।

14. श्री राधाकृष्ण किशोर, गढ़वा-डालटनगंज-रांची मार्ग को फोरलेन किया जाना।

15. श्री ढुलू महतो, कोयला कंपनियों द्वारा खनन नीति का पालन नहीं किया जाना।

16. श्री अमित कुमार, पंचपरगनिया भाषा को शेष जिलों में भी लागू किया जाना।

17. श्री योगेश्वर महतो, के.वी. कॉलेज, बेरमो में पुन: स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारम्भ किया जाना।

18. श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, राज्य में बंद पड़े औद्योगित ईकाईयों को चालू किया जाना।

19. श्री शिवशंकर उरांव, काली सूची में अंकित एजेंसियों को निर्माण कार्य दिये जाने का औचित्य।

20. श्री राजकुमार यादव, गिरिडीह के धनवार में बिजली की आपूर्त्ति किया जाना।

4.शून्यकाल:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने शून्यकाल की सूचनायें पढ़ी -

श्री दशरथ गागराई,
श्रीमती गंगोत्री कुजूर,
श्री नागेन्द्र महतो,
श्री अमित कुमार,
श्री बिदेश सिंह,
डॉ० अनिल मुरमू,
श्री निरल पुरती,
श्री पौलुस सुरीन,
श्री स्टीफन मराण्डी,
श्री ईरफान अंसारी,

(कृ० पृ० उ०)

श्री आलमगीर आलम,
श्री बादल,
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी,
श्री जगरनाथ महतो,
श्री योगेश्वर महतो,
श्री रवीन्द्रनाथ महतो,
श्री कुणाल षडंगी,
श्री प्रकाश राम,
श्रीमती निर्मला देवी,
श्री नारायण दास,
श्री प्रदीप यादव,
श्री शिवशंकर उरांव,
श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,
श्री नलिन सोरेन,
श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता।

5.आसन द्वारा सूचना का दिया जाना:-

झारखण्ड सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा झारखण्ड विधान सभा परिसर में हेल्थ कैम्प लगाये जाने सम्बन्धी सूचना आसन द्वारा सदन को दी गयी और आग्रह किया गया कि माननीय सदस्यगण वहाँ अपना हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं और साथ ही ब्लड, शूगर आदि की जाँच भी करवा सकते है। इसके अतिरिक्त पुनः माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित तथा माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित अन्तरिम प्रतिवेदनों के प्राप्त होने की भी सूचना सदन को दी गयी।

(इस अवसर पर माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने ब्लड कैम्प लगाये जाने हेतु आसन से आग्रह किया। माननीय सदस्या, श्रीमती जोबा मांझी ने नवसृजित प्रखण्ड गुदरी में हुई जघन्य हत्या तथा माननीय सदस्य, श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी ने गढ़वा में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गये मजदूरों के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की। इसके अतिरिक्त माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कोषागार से निकाली गयी राशि के सम्बन्ध में भी वस्तुस्थिति से सदन को अवगत कराया गया।)

6.ध्यानाकर्षण सूचनायें:-

सदन में वक्तव्य हेतु कार्यसूची में अंकित कुल- 45 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति में आसन द्वारा सुपूर्द किया गया।

क्र० पृ० उ०

7.निवेदन:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 263(1) के तहत स्वीकृत कुल- 170 निवेदनों को सदन की सहमति से सम्बन्धित विभागों में भेजे जाने हेतु आसन से घोषणा की गयी।

8. सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना:-

आसन की अनुमति से अध्यक्ष के स्थायी आदेश 315(2) के तहत तृतीय झारखण्ड विधान सभा के त्रयोदश(बजट) सत्र में गठित पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत बड़ाजामदा स्थित बालाजी मेटालिक क्रशर प्लॉट द्वारा अवैध उत्खनन से सम्बन्धित विशेष समिति का प्रतिवेदन सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया।

इसके उपरांत आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा सभी माननीय सदस्यों के लिए गंगाजल उपलब्ध कराया गया है जो विधान सभा काउंटर से प्राप्त किया जा सकता है साथ ही माननीय सदस्य, श्री अरुप चटर्जी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता, श्री संजय कुमार को निलंबित किये जाने की भी सूचना सदन को दी गयी।

9. वित्तीय कार्य:-

माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी मंत्री, वित्त) ने लोक लेखा समिति, झारखण्ड विधान सभा द्वारा यथा समर्थित वित्तीय वर्ष- 2002-03 से 2010-11 में सम्बन्धित वित्तीय वर्षो के विनियोग विधेयकों से यथार्थतः अधिक व्यय हुए राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे विनियमित करने हेतु अनुरोध किया गया।

(अन्तराल)

अन्तराल के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

10. विधायी कार्य:-

"झारखण्ड विनियोग (अधिकाई व्यय 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11) विधेयक, 2015" पर माननीय नेता, प्रतिपक्ष द्वारा चर्चा प्रारंभ की गयी जिसमें निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी भाग लिया-

श्री अनन्त कुमार ओझा,
श्री आलमगीर आलम,
श्री प्रदीप यादव,
श्री राधाकृष्ण किशोर,

श्री मनोज कुमार यादव तत्पश्चात् उक्त विधेयक को प्रभारी मंत्री, वित्त, श्री सरयू राय द्वारा पुरःस्थापित किया गया। पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तदुपरांत खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-2 एवं 3, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से प्राप्त सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

11. गैर सरकारी संकल्प की सूचना:-

निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा गैर सरकारी संकल्प की सूचनायें पढ़ी गयी तत्पश्चात् सरकारी उत्तरोपरांत नियमानुसार वापस ली गयीं-

क्र० पृ०उ०

उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकर नियमावली, 2015'' की एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी।

13. मानीय अध्यक्ष महोदय का समापन भाषण:-

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र का संचालन सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के निमित्त माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को धन्यवाद दिया गया। इस सत्र में सरकार, मीडिया, सभी विभागाध्यक्ष, विभागीय कर्मचारी, पुलिस प्रशासन एवं सभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के सकारात्मक सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया गया तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक- 30 मार्च, 2015 ई०।

सुशील कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।